ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना:-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत जंगल रोपा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अश्वनी ठाकुर	01.04.2022 से 31.03.2024

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री रविंदर कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अजय मन्हाश	01.04.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति नीलम कुमारी	01.04.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.4	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंत शेष में अंतर पाया जाना	0.33
2	6.1	अनुदानों का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	38.21
3	7.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाना	0.07
4	8.1	ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि होना	0.70
5	8.2	संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.27
6	9.1	मनरेगा शीर्ष से अधिक/अनियमित भुगतान करना	0.28
7	9.2	पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण अधिक एवं गलत भुगतान करना	0.09
8	9.3	माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	8.49

9	9.4	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	3.91
10	9.5	सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करने बारे।	3.08

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

पंचायत द्वारा गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के लम्बित पैरों के समायोजन हेतु कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि स्वत: आपत्तिजनक एवं चिन्तनीय विषय है । वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

(i) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	वर्तमान स्थिति	विवरण
1	3	निर्णीत।	अंकेक्षण शुल्क, राशि ₹7200/- की प्राप्ति बैंक ड्राफ्ट संख्या XAA 418201 दिनांक 25.07.2024 द्वारा कर ली गई है।
2	4(ii)	अनिर्णीत।	
3	5(i)(ii)(iii)	अनिर्णीत।	
4	6	अनिर्णीत।	
5	7	अनिर्णीत।	
6	8	अनिर्णीत।	
7	9	अनिर्णीत।	
8	10	अनिर्णीत।	
9	11	अनिर्णीत।	
10	12	अनिर्णीत।	
11	13	अनिर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 10 में पुन: प्रारूपित।
12	14	अनिर्णीत।	
13	15	अनिर्णीत।	नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 11 में पुन: प्रारूपित।

अतः पंचायत द्वारा लम्बित पैरों के समायोजन हेतु प्राथमिकता के आधार पर विशेष कार्यवाही करना सुनिश्चित की जाये व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

भाग-2

2. वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अमित कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 18.07.2024 से 25.07.2024 तक ग्राम पंचायत जंगल रोपा के कार्यालय में किया गया | आय-व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/2023	09/2022
2023-24	03/2024	03/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :- *इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है| पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।*

3. अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आंका गया | अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 225/2024 दिनांक 22/07/2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत जंगल रोपा द्वारा पंजाब

नेशनल बैंक, नाल्टी, हमीरपुर, DDO NO - XAA 418202 दिनांक 25.07.2024 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत जंगल रोपा द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207/2024 दिनांक 16.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान छः (6) रोकड़ बहियों अर्थात् स्वः स्त्रोत (Offline), अनुदान (प्लानिंग)(Offline), स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Online), 14वें वित्तायोग (Online), 15वें वित्तायोग (Online) व मनरेगा (Online) का रख-रखाव किया गया था।

(1)(क) स्वः स्त्रोतः-

ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक की स्वयं स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (2+3) (₹)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (4-5) (₹)**
1	2	3	4	5	7
2022-23	363615.09	126686.00	490301.09	92192.00	398109.09
2023-24	398109.09	102217.00	500326.09	41655.00	**458671.09**

(ख) अनुदान :-

ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के अनुदान की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (2+3) (₹)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शेष (4-5) (₹)**
1	2	3	4	5	7
2022-23	4695846.93	6382880.02	11078726.95	6470732.04	4607994.91
2023-24	4607994.91	4294826.00	8902820.91	5082213.38	**3820607.53**

(ग) संकलित वित्तीय स्थिति :-

ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 तक के संकलित वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	आय ब्याज सहित (₹)	कुल योग (2+3) (₹)	व्यय (₹)	अंतिम शेष (4-5) (₹)
1	2	3	4	5	7
2022-23	5059462.02	6509566.02	11569028.04	6562924.04	5006104.00
2023-24	5006104.00	4397043.00	9403147.00	5123868.38	**4279278.62**

(2) दिनांक 31.03.24 को ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खण्ड हमीरपुर , जिला हमीरपुर के बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	खाता संख्या	खाता नंबर	राशि (₹)
1	स्वयं स्त्रोत	PNB NALTI	2083000100029144	458379.09
	अनुदान (प्लानिंग)	PNB NALTI	2083000101046272	837903.09
	14वां वित्तायोग	PNB NALTI	2083000101044812	115521.24
	15वां वित्तायोग	HDFC HAMIRPUR	50100319721900	2833906.50
2		योग		**4245709.92**
		हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत)		342.00
		योग **(1+2)**		**4246051.92**

(3) बैंक समाधान विवरणी :-

1)	स्व: स्त्रोत –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता "**क**" का अंतिम शेष	458671.09
2)	अनुदान –दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खाता "**ख**" का अंतिम शेष	3820607.53
3)	दिनांक 31.03.2024 पंचायत की वित्तीय स्थिति अनुसार खता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष (1+2)	**4279278.62**
4)	दिनांक 31.03.24 को पंचायत के **बैंक** खातों / पैरा 4(2) के अनुसार खाता "**क" व "ख**" का कुल अंतिम शेष	4245709.92
5)	दिनांक 31.03.24 को हस्तगत राशि (स्व: स्त्रोत)	342
6)	योग (4+5)	4246051.92
7)	**अन्तर (3-6)**	**33226.70**

(4) रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण अंत शेष में ₹0.33 लाख का अंतर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10 (1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है |

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बहियों व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिसके कारण दिनांक 31.03.24 को स्व: स्त्रोत व 15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही एवं बैंक के अंतिम शेष में राशि ₹33226.70/- का अन्तर निम्न विवरणानुसार बैंक व रोकड़ बही में कम पाया गया |

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही का अन्तशेष (₹)**	**दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष का योग (₹)**	**अन्तर (4-3) (₹)**
1	Own sources	458671.09	458721.09	50.00 रोकड़ बही में कम
2	15th FC	2867183.20	2833906.50	33276.70 बैंक में कम
कुल अंतर				**33326.70**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 217/2024 दिनांक 22/07/2024 के प्रत्युत्तर में उक्त अंतर की राशि बारे सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा पत्र संख्या 15 दिनांक 25/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही का बैंक खातों से राशि **₹33326.70** अंतर का पता लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार अंतर के कारणों की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. सावधिक निवेश :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था, जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष पंचायत निधि (स्वः-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207/2024 दिनाँक 16.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में प्रतिउत्तर पत्र संख्या 13 दिनांक 25/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत का अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था |

अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बही का नियमानुसार रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके तथा निवेश की स्थिति में हि० प्र० प० रा०(वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप 1 में निर्धारित निवेश रजिस्टर का रख-रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

अत: कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

6. अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹38.21 लाख का उपयोग न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली, 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिंग एजेन्सी की अपेक्षाओं व मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है ।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207/2024 दिनांक 16.07.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **(परिशिष्ट"क")** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹3820607.53/-** की राशि उपयोग हेतू शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है ।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207/2024 दिनाँक 16.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर संख्या 13 दिनाँक 25.07.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाई अमल में लाकर शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमानुसार उक्त शेष राशि को निर्धारित उद्देश्यों हेतु

व्यय करना सुनिश्चित किया जाये व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है |

इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207/2024 दिनाँक 16.07.2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 03 दिनाँक 25.07.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से शीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79(2) के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति अंकेक्षणार्थ उपलब्ध करवाना आवश्यक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207/2024 दिनाँक 16.07.2024 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में पत्र संख्या 03 दिनाँक 25.07.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है । यह एक अनुचित प्रक्रिया है, क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है |

अत: अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे एवं उनका उपयोग किस उद्देश्य एवं कार्य के लिये किया गया था।

अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके सम्बन्धित समर्थित अभिलेख सहित अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

7. पंचायत राजस्व

7.1 पंचायत का गृहकर/ सम्पत्ति कर वसूली हेतु शेष :-

(क) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को गृहकर/ सम्पत्ति कर की वसूली करना अपेक्षित है तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट) नियम 2002 के नियम 34 (2) के प्रावधानानुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207/2024 दिनांक 16.07.2024 के क्रम संख्या 5 के प्रतिउत्तर में सलंग्न **(परिशिष्ट "ख")** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान गृहकर की देय राशि **₹** 50/- वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**परिवार**	**गृहकर वार्षिक दर (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2022-23	1800	824	50	41200	43000	41500	1500
2023-24	1500	824	50	41200	42700	42650	**50**

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी शीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.02 लाख की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति शुल्क तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान परिशिष्ट "ग" अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निर्धारित दरों से ₹1600/- की वसूली नहीं की गई थी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 215/2024 दिनांक 22.07.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 15 दिनांक 25.07.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में कम वसूली गई राशि की वसूली हेतु रसीद संख्या 239185 दिनांक 23/07/2024 द्वारा काट ली गई है तथा राशि, जिसे राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दिया जाएगा।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0235-00-800-03 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि **₹7400**/- को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण सलंग्न (**परिशिष्ट "ग"**) में दिया गया है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 216/2024 दिनांक 22.07.2024 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 05 दिनांक 25/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "अंकेक्षण अवधि दौरान प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि **₹7400**/- को राजकीय कोष के मद 0235-00-800-03 में जमा करवा दिया जाएगा व अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को उक्त नियम प्रावधानानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसे शीघ्र अति शीघ्र नियमानुसार सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को राशि ₹0.70 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वित्तीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 में चयनित माह 09/22 व 03/24 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री जैसे पत्थर,रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को सलंग्न **(परिशिष्ट "घ")** अनुसार राशि **₹70042.58/-** का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 218/2024 दिनांक 22/07/2024 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 15 दिनांक 25/07/2024 द्वारा सूचित किया गया कि" उक्त पत्र में वर्णित राशि **₹70042.58** रॉयल्टी की कटौती बिलों में से नहीं की गई है जिसे भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार काटा जाएगा अथवा ट्रांजिट पास फार्म लिया जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगी "। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25% पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

चयनित मासों के दौरान राशि **₹70042.58** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये क्योंकि निदेशक, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग, शिमला-9 के पत्र संख्या-XEN-(RD & PR)-DB-General/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02, Nov, 2023 के अनुसार ठेकेदारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को खनन निर्माण सामग्री हेतु भुगतान केवल तभी किया जायेगा जब वे वैध ट्रांजिट पास फार्म "X" या "W" जमा करेंगें। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि के दौरान उक्त पत्र में दिये निर्देशों के विरूद्ध किए गये समस्त भुगतानों की विस्तृत सत्यापित सूची सहित उनके भुगतानों को नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा अंकेक्षण अवधि में किये गये समस्त

असमर्थित/अनियमित भुगतानों की उचित स्रोत से वसूली कर कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा किसी संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

8.2 संविदाकार / आपूर्तिकर्ता के भुगतान बिलों से नियमानुसार स्त्रोत पर 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करने के कारण ₹0.27 लाख का अधिक अनियमित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक कॉन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत ₹250000/- से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. +1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति **सलंग्न (परिशिष्ट "ङ")** अनुसार राशि **₹1357836/-** (जी.एस.टी. को छोड़कर) का भुगतान किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि **₹27156.72/-** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी, जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 219/2024 दिनांक 22/07/2024 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 05 दिनांक 25/07/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित आपूर्तिकर्ताओं से ₹**1357836/-** की सामग्री की आपूर्ति करने पर नियमानुसार बनती ₹**27156.72/-** GST,TDS की कटौती बिलों में से नही की गई है, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा तथा इसकी वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः जी.एस.टी.(टी.डी.एस.). की कटौती न करने का तथ्य पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, एवं इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत नियमानुसार देय अपेक्षित राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

9.1 मनरेगा शीर्ष के अंतर्गत ₹0.28 लाख के अधिक/अनियमित भुगतान करने बारे :-

ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभार्थी हेतु निदेशक एवं आयुक्त मनरेगा ग्रामीण विकास विभाग के पत्र संख्या SMS-1/2021-22-RDD-Implementation-MGNREGA-5684-5808 दिनांक 25.05.2022 के अनुसार The amount of material component which is to be reimbursed in the account of individual beneficiaries shall be restricted to the maximum of 40% of the actual total cost of the work by applying the following formula :

Actual unskilled labour cost × 2/3 = Material Cost की अवहेलना करते हुए सलंग्न **(परिशिष्ट "च")** द्वारा राशि ₹27744.30/- का अधिक भुगतान किया गया था :-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि (₹)	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि(₹)	लाभार्थी को अधिक भुगतान(₹)
1	C/o Plantation in land of Dev Raj s/o Loungu ram vill Masyana	मस्ट्रोल संख्या (1456) (5936) =5936 x 2/3 =3957	Plants	6500	3957	2543.00
2	c/o Plantation in land of Banta ram s/o lala ram vill	मस्ट्रोल संख्या (1455) (9964) =9964x 2/3	Plants	9000	6642	2357.00

	bakarti	=6642				
3	c/o plantation wk in land Ajeet kumar s/o Loungu ram vill Masyana	मस्ट्रोल संख्या (1454) (5936) =5936 x 2/3 =3957	Plants	6500	3957	2543.00
4	c/o Plantation wk of land of Suresh kumar s/o Ramrath vill har	मस्ट्रोल संख्या (1453 + 1606) (5936 + 3392) =9328 x 2/3 =6218	Plants	9000	6218	2782.00
5	c/o plantation wk in land of kuldeep singh vill Har	मस्ट्रोल संख्या (1451) (8904) =8904 x 2/3 =5936	Plants	7100	5936	1164.00
6	c/o Plantation wk in land of vinod kumar s/o sada ram	मस्ट्रोल संख्या (1450+1605) (5936+3392) =9328 x 2/3 =6218	Plants	9000	6218	2781.00
7	c/o Plantation wk in land of amar nath s/o Gajjan ram	मस्ट्रोल संख्या (14492) (5936) =5936 x 2/3 =3957	Plants	6600	3957	2642.00
8	c/o Plantation wk in land of ramesh chand vill bhadla	मस्ट्रोल संख्या (1376) (7632) =7632 x 2/3 =5088	Plants	9600	5088	4512.00

9	c/o Plantation wk in land of Jai pal s/o roop lal	मस्ट्रोल संख्या (1448) (5936) =5936 x 2/3 =3957	Plants	6600	3957	2642.00
10	c/o Plantation wk in land of Susma devi s/o Ramesh chand	मस्ट्रोल संख्या (1925+2117) (14210+10962) =25172 x 2/3 =16781	Plants	20559.63	16781.33	3778.30
Total						**27744.30**

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 224/2024 दिनांक 22/07/2024 की अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 15 दिनांक 25/07/2024 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित मनरेगा शीर्ष में materials (Plants) के रूप में ₹27744.30/- की अधिक भुगतान की वसूली सम्बंधित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹27744.30 के अधिक भुगतान को तथ्यपूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 पत्थर की खरीद में रिक्तियां (voids) की कटौती न करने के कारण ₹0.09 लाख का अधिक एवं गलत भुगतान करने बारे :-

Himachal Pradesh public work department under rules 2.1.2.13 Coarse and fine aggregates supplied at site of works shall be paid for in cubic meters and actual volume of the aggregates to be paid for shall be computed after deducting the 12.5 percentage from the volume computed by stack measurements.

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 हेतु चयनित माह 09/22 व 03/2024 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पत्थरों (stones) की खरीद हेतु **निम्न विवरणानुसार** राशि **₹70969/-** का कुल भुगतान किया गया था, लेकिन आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व

रिक्तियों (Voides) की कटौती न करने के कारण राशि **₹8871.13** का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था :-

ग्राम पंचायत द्वारा अधिक एवं गलत भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 220/2024 दिनांक 22.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र 15 दिनांक 25/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित पत्थर (stone) की खरीद पर **₹8871.13**/- रिक्तियों (voids) की कटौती नहीं की गई है, लेकिन इसके भुगतान की वसूली सम्बन्धित से करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की दी जाएगी । प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है ।

क्रम संख्या	**शीर्ष का नाम**	**कार्य का नाम**	**वाउचर संख्या**	**बिल संख्या व दिनांक**	**फर्म का नाम व पता**	**क्रय किए गए सामान का विवरण**	**राशि (₹)**	**कटौती दर %**	**रिक्तियां (Voids)(₹)**
1	MNREGA	C/o Moksham Dham Vill Masyana	0	78	M/S Anil Kumar, Vill Kaswar, Hamirpur	stone	29600	12.5	3700.00
2	MNREGA	C/O wire crate near the nala piyadkar vill Piyadkar	0	68	M/S Anil Kumar, Vill Kaswar, Hamirpur	Stone	9660	12.5	1207.50
3	MNREGA	C/O sampark marg ramesh chand house to babdi vill bhadla	0	69	M/S Anil Kumar, Vill Kaswar, Hamirpur	stone	11040	12.5	1380.00
4	MNREGA	Up gradation pond	0	70	M/S Anil Kumar, Vill Kaswar, Hamirpur	stone	8280	12.5	1035.00
5	GIA (Planning)	C/O path from nirmla devi to dev raj house toward	15	63	M/S Anil Kumar, Vill Kaswar, Hamirpur	stone	2039	12.5	254.88

6	GIA (Planning)	C/O link road gugga mandir to kesar singh house	27	75	M/S Anil Kumar, Vill Kaswar, Hamirpur	stone	10350	12.5	1293.75
Total							**70969**	**12.5**	**8871.13**

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹8871.13 के अधिक व गलत भुगतान को तथ्यपूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 राशि ₹8.49 लाख के व्यय के समर्थन में माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मास 09/2022 व 03/2024 में (**सलंग्न परिशिष्ट "छ") अनुसार** कार्यों हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों के अन्तर्गत राशि ₹**848871/-** का भुगतान किया गया था, जिससे सम्बन्धित माप पुस्तिकाएं अंकेक्षण अधियाचना संख्या 223/2024 दिनांक 22/07/2024 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक माप पुस्तिकाओं को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। सचिव द्वारा पत्र 15 दिनांक 25/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित माप पुस्तिकाओं को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा"।

अत: नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना गम्भीर आपत्तिजनक है | परिणामस्वरूप किए गए कार्य के मूल्यांकन अनुरूप भुगतान करने की जांच नहीं हो सकी | अतः हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101(2)(iii) की अनुपालना सुनिश्चित करते हुये अपेक्षित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किया जाए।

9.4 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹3.91 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं |

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 के दौरान चयनित मास 09/2022 व 03/2024 में **सलंग्र (परिशिष्ट "ज")** अनुसार पंचायत द्वारा राशि **₹391228/-** की सामग्री का क्रय निविदाएँ

आदि (Quotations) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 221/2024 दिनांक 22.07.24 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या 15 दिनांक 25/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया कि "उक्त पत्र में वर्णित **₹391228**/-की औपचारिकताएं पूर्ण करके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जायेगीं"। प्रस्तुत उत्तर नियमानुकूल न होने एवं तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः औपचारिकताओं को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार ही स्टोर / स्टॉक का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.5 राशि ₹3.08 लाख की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, ,बजट, लेखें, संपरीक्षा,संकर्म,कराधान और भते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार सचिव द्वारा स्टॉक /स्टॉक की प्राप्ति पर उसका यथास्थिति परीक्षण, गणना, माप या तोल कर तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा।

अंकेक्षण अवधि 04/22 से 03/24 दौरान चयनित माह 09/2022 व 03/2024 में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न कार्यों हेतू क्रय किए गए सामान के बिलों के अंकेक्षण पर पाया गया कि **सलंग्न (परिशिष्ट "झ") राशि ₹308222/-** की सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था। लेखांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं अपूर्णता के चलते किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुर्विनियोजन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 222/2024 दिनांक 22/07/2024 द्वारा इस अनियमितता को सचिव, के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में सचिव द्वारा पत्र संख्या 15 दिनांक 25/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि "उक्त पत्र में वर्णित स्टॉक रजिस्टर में **₹308222**/- के क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियां कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवा दिया जाएगा"। प्रस्तुत उत्तर तथ्यरहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि क्रय किए गए सामान के स्टॉक का इन्द्राज न करना अपने आप में ही एक गम्भीर अनियमितता है।

अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख नियमानुसार तैयार करके सत्यापनार्थ अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जायें।

9.6 राशि ₹2.06 लाख प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने बारे:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 227/2024 दिनांक 23/07/2024 द्वारा पंचायत सचिव से **सलंग्र परिशिष्ट "ञ"** अनुसार कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कि प्रस्ताव संख्या, प्राक्कलन, तकनीकी व प्रशासनिक स्वीकृति को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में पत्र संख्या 15 दिनांक 25/07/2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख को जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

वांछित अभिलेख अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत न करना स्वत: आपतिजनक है क्योंकि नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करने से कृत व्यय की सत्यता की अंकेक्षण में पुष्टि नहीं की जा सकती।

अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अति शीघ्र अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत किये जायें।

9.7 बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायत राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फ़ार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन उपरोक्त वर्णित नियम के अनुसार तैयार करने के स्थान पर मात्र पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर पारित करा लिया गया है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207/2024 दिनांक 16.07.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने/ हेतु अनुरोध किया गया था जिसका सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण समाप्ति तक कोई उत्तर नहीं दिया गया, जोकि स्वत: आपतिजनक है।

अतः बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 208/2024 दिनांक 16.07.2024 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था। प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या 14 दिनांक 25/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा रहा है, फलस्वरूप किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता है, यह अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
3	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
6	गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो से सम्बंधित अभिलेख का रख रखाव न करना	30	89
7	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
8	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर	--	101 (2) (v)
10	मस्ट्रोल स्टॉक/ निर्गम रजिस्टर का उचित रख-रखाव न करना	--	102

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

11 प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के स्टोर/स्टॉक का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 207/2024 दिनांक 16.07.2024 के क्रम संख्या 8 की अनुपालना में पत्र संख्या 13 दिनांक 25/07/2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है। फलस्वरूप किसी भी स्तर पर धन एवं सामग्री के दुरूपयोग की सम्भावना से अंकेक्षण में इन्कार नहीं किया जा सकता।

अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:**- इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

13 **निष्कर्ष:**- लेखों में सुधार और ठोस कदम उठाने की अत्यधिक आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

4548-4552 13 SEP 2024

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(6)8/2016 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620046

Annaxure "क" पैरा संख्या ५ में संदर्भित

ग्राम पंचायत - जंगल रोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक

स्वयं स्त्रोत :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	363615.09	126686.00	490301.09	92192.00	398109.09
2	2023-24	398109.09	102217.00	500326.09	41655.00	**458671.09**

अनुदान :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	4695846.93	6382880.02	11078726.95	6470732.04	4607994.91
2	2023-24	4607994.91	4294826.00	8902820.91	5082213.38	**3820607.53**

संकलित वित्तीय स्थिति :-

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग (3+4)	व्यय	अंतिम शेष (5-6)
1	2022-23	5059462.02	6509566.02	11569028.04	6562924.04	5006104.00
2	2023-24	5006104.00	4397043.00	9403147.00	5123868.38	**4279278.62**

Panchayat Secretary
G.P. Jangal Ropa
Dev. Block & Distt. Hamirpur (H.P.)

ग्राम पंचायत-जंगल रोपा, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश						
अनुदान (प्लानिंग)(Offline) शीर्ष की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	868838.14	829464.70	1698302.84	808782.85	889519.99
2	2023-24	889519.99	635816.00	1525335.99	687432.90	**837903.09**

स्वच्छ भारत मिशन (PFMS)(Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	133192.00	133192.00	133192.00	0.00
2	2023-24	0.00	123187.00	123187.00	123187.00	**0.00**

14वें वित्तायोग(Offline) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	2006225.79	47780.32	2054006.11	1211171.99	842834.12
2	2023-24	842834.12	23602.00	866436.12	750914.88	**115521.24**

15वें वित्तायोग (Online)की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	1820783.00	2424595.00	4245378.00	1369737.20	2875640.80
2	2023-24	2875640.80	990772.00	3866412.80	999229.60	**2867183.20**

मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2022-23	0.00	2947848.00	2947848.00	2947848.00	0.00
2	2023-24	0.00	2521449.00	2521449.00	2521449.00	**0.00**

Panchayat Secretary
G.P. Jangal Ropa
Dev. Block & Distt. Hamirpur (H.P.)

Annaxure 'अ' पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खंड हमीरपुर , जिला हमीरपुर							
दिनांक 01.04.2022 से 31.03.2024 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-							
वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**परिवार**	**गृहकर वार्षिक दर**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2022-23	1800	824	50	41200	43000	41500	1500
2023-24	1500	824	50	41200	42700	42650	**50**

Panchayat Secretary
G.P. Jangal Ropa
Dev. Block & Distt. Hamirpur (H.P.)

Annaxure डी पैरा संख्या ५.३ में संदर्भित

ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर
(विवाह पंजीकरण सूचि) (01.04.2022 से 31.03.2024)

क्रम संख्या	नाम	जंगल रोपा	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	देय राशी	प्राप्त राशि	बकाया राशी
1	Sunny DhimanS/o Nikku Ram	19/04/2022	05/05/2022	239126	200	200	0
2	Sumit Kumar S/oKishori Lal	21/04/2022	09/05/2022	239137	200	200	0
3	Asish Kumar S/oRamesh Chand	20/04/2022	12/05/2022	239138	200	200	0
4	Mukesh Kumar S/o Surinder Kumar	12/07/2021	24/08/2022	239141	400	400	0
5	Vineet Thakur S/o Ramesh Chand	04/08/2022	09/09/2022	239143	400	200	200
6	Hitesh Gautam S/o Vijay Kumar	27/09/2022	10/10/2022	239144	200	200	0
7	Pankaj Thakur S/oMahesh Kumar	02/12/2022	14/12/2022	239149	200	200	0
8	Vikas Thakur s/o Ashokkumar	08/12/2022	21/12/2022	239151	200	200	0
9	Ravi kumar s/oRaj kumar	04-`12-2022	21/12/2022	239150	200	200	0
10	Kavi kumar s/osantosh kumar	07/12/2022	29/01/2023	239155	400	200	200
11	Ankush kumar s/o prem chand	09/03/2023	29/03/2023	239157	200	200	0
12	Vinay Goswami s/o Ravinder kumar	09/03/2023	17/04/2023	239158	400	200	200
13	Vineet sharma s/o Dev Raj	27/06/2023	07/07/2023	239162	200	200	0
14	Robin choudharys/o Vijay kumar	26/06/2023	27/10/2023	239163	400	200	200
15	Vipan kumar s/o krishn chand	10/07/2023	13/07/2023	239164	200	200	0
16	Akashdeep s/oAshok kumar	27/03/2023	14/07/2023	239165	400	200	200
17	Ravi kant s/o Baidev chand	09/07/2023	17/07/2023	239166	200	200	0
18	Dheeraj jaswal s/o Rikhi Ram	23/02/2023	22/08/2023	2391667	400	200	200
19	Shubham Thakur s/oRakesh kumar	26/10/2023	15/11/2023	239169	200	200	0
20	Sanjeev Kumar s/oKuldeep Sharma	19/11/2023	20/11/2023	239170	200	200	0
21	Siddharth Patyal s/oMohinder Singh	22/11/2023	02/01/2024	239171	400	200	200
22	Vivek Mohan s/o Virender Mohan	28/11/2023	05/01/2024	239173	400	200	200
23	Manish Dhiman s/oRajesh kumar	30/01/2024	15/02/2024	239175	200	200	0
24	Nitin Thakur s/o Balbir singh	18/02/2024	28/02/2024	239176	200	200	0
25	Bharat singh s/oSantosh kumar	18/02/2024	06/03/2024	239179	200	200	0
26	vineet kumar s/oMohinder kumar	07/03/2024	18/03/2024	239180	200	200	0
27	Ajay Dogra s/o Desh Raj	07/03/2024	27/03/2024	239181	200	200	0
28	Anuj Bhatia s/o Jay chand	04/03/2024	27/03/2024	239182	200	200	0
Total Amount					**7400**	**5800**	**1600**

Annaxure 'ल' पैरा संख्या 8.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

रॉयल्टी की वसूली न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 09/22 और 03/24)

Ser No	Scheme	Name Of Work	Voucher No	Bill no and Date	Name of Vendor	Material Items	Quantity (cum)	Conversion Factor	Qty (Mt)	Rate per tonne (₹)	Total (₹)
1	MNREGA	C/oPath Ramesh Chand House ToBabdo Vill.Bhadla	0	69 dt 29/08/2022	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Agg.	20	1.52	30.4	80	2432.00
				69 dt 29/08/2022	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	sand	18	1.62	29.16	80	2332.80
				69 dt 29/08/2022	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Stone	16	2.24	35.84	80	2867.20
2	MNREGA	C/oUpgradation Pond Masyana	0	70 dt /29/8/2022	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Agg.	33	1.52	50.16	80	4012.80
				70 dt /29/8/2022	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	sand	18	1.62	29.16	80	2332.00
				70 dt /29/8/2022	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Stone	12	2.24	26.88	80	2150.00

Panchayat Secretary
G.P. Jangal Ropa
Block & Distt. Hamirpur (H.P.)

28

3	MNREGA	C/oWire Crate In The Land Of Dharam Chand Vill.Jungal	0	176 dt 3/2/2022	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Stone	14	2.24	31.36	80	2508.80
4	MNREGA	C/oProtection WallIn The Land Of Dharam Chand Vill.Masyana	0	65dt 29/08/2022	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Agg.	6	1.52	9.12	80	729.60
				65dt 29/08/2022	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	sand	4	1.62	6.48	80	518.40
5	MNREGA	C/oProtection Wall In The Land Of Priyanka Gathania Vill.Har	0	67 dt 29/08/2022	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Agg.	5	1.52	7.6	80	608.00
				67 dt 29/08/022	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	sand	3	1.62	4.86	80	388.80
6	MNREGA	C/oMokash Dham Vill.Masyana	0	129 dt 1/7/2023	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Stone	10	2.24	22.4	80	1792.00
				249 dt 14/03/2023	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	sand	18	1.62	29.16	80	2332.80
7	MNREGA	C/oProtection Wall RajKumar Vill.Bakarti	0	114 dt 7/5/2023	AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Agg	2.54	1.52	3.8608	80	308.86
8	MNREGA	C/oRasta Tree The Piple To Subash Chand House Vill.Har	0	97dt 2/2/2024	Garg	Agg.	21	1.52	31.92	80	2553.60
9	MNREGA	C/oRasta Kuldeep House to MadanLal House	0	96 dt 2/2/2024	Garg Trader	Agg.	17	1.52	25.84	80	2067.20

10	MNREGA	C/o Wire Crate Near The Nala Piyadkar	0	62 dt 15/08/2023	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Stone	14	2.24	31.36	80	2508.80
11	MNREGA	C/o RTWater Harvesting TankOf Rikhi Ram Vill.Kuswar	0	155 dt 6/1/2024	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Agg.	12	1.52	18.24	80	1459.00
12	MNREGA		0	155 dt 6/1/2024	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	sand	7	1.62	11.34	80	907.00
13	MNREGA	C/oRTWater Harvesting TankOf Tilak Raj S/oJashi Ram Viil.Ropa	0	175 dt 3/2/2024	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Agg.	1.73	1.52	2.63	80	210.00
14	MNREGA	C/oRTWater Harvesting TankOf SunilKumar S/oAmar Nath Vill.Kuswar	0	124 dt 5/7/2023	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	Agg.	2.1	1.52	2.1	80	168.00
15	General(GiaPlanning)	C/oS/Marg From NirmlaDevi House To Dev Raj House Vill.Masyana	15	63 dt 20/8/2022	M/S AnilKumar,vill kuswar, hamirpur	Agg.	23	1.52	34.96	80	2796.00
						sand	12	1.62	19.44	80	1555.20
						Stone	3	2.24	6.72	80	537.60
16	General(GiaPlanning)	C/oCommunity Toliet Vill.Masyana	19	64 dt 20/8/2022	M/S AnilKumar,vill kuswar,	Agg.	11	1.52	16.72	80	1337.60
						sand	8.5	1.62	13.77	80	1101.60
17	General(GiaPlanning)	C/oLink Road Guga Mandir ToKesher Singh House Vill.Jungal	27	75 dt 20/09/2022	M/S AnilKumar,vill kuswar, hamirpur	Agg.	18	1.52	27.36	80	2188.80
						sand	10	1.62	16.2	80	1296.00
						Stone	15	2.24	33.6	80	2688.00
18	14th	C/oPanchyat Bhavan Hall Gp Jangalropa	6,5	103 dt 11/o3/2024	GargTrader vill Gharan, Hamirpur	Agg.	24.5	1.52	37.24	80	2979.20
				187dt 22/02/2024	M/S AnilKumar, vill kuswar, hamirpur	sand	12.5	1.62	20.25	80	1620.00

Panchayat Secretary
G.P. Jangal [illegible]
[illegible] (H.P.)

30

30

Annaxure - 'च' पैरा संख्या 9.1 में सदर्भित

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	सामग्री की लागत / व्यय योग्य राशि	ग्राम पंचायत द्वारा जारी सामग्री	सामग्री पर व्यय राशि	लाभार्थी को भुगतान योग्य राशि	लाभार्थी को अधिक भुगतान
1	C/o Plantation in land of Dev Raj s/o Loungu ram vill Masyana	मस्ट्रोल संख्या (1456) (5936) =5936 x 2/3 =3957	Plants	6500	3957	2543
2	c/o Plantation in land of Banta ram s/o lala ram vill bakarti	मस्ट्रोल संख्या (1455) (9964) =9964x 2/3 =6642	Plants	9000	6642	2357
3	c/o plantation wk in land Ajeet kumar s/o Loungu ram vill Masyana	मस्ट्रोल संख्या (1454) (5936) =5936 x 2/3 =3957	Plants	6500	3957	2543
4	c/o Plantation wk of land of Suresh kumar s/o Ramrath vill har	मस्ट्रोल संख्या (1453 + 1606) (5936 + 3392) =9328 x 2/3 =6218	Plants	9000	6218	2782
5	c/o plantation wk in land of kuldeep singh vill Har	मस्ट्रोल संख्या (1451) (8904) =8904 x 2/3 =5936	Plants	7100	5936	1164
6	c/o Plantation wk in land of vinod kumar s/o sada ram	मस्ट्रोल संख्या (1450+1605) (5936+3392) =9328 x 2/3 =6218	Plants	9000	6218	2781
7	c/o Plantation wk in land of amar nath s/o Gajjan ram	मस्ट्रोल संख्या (14492) (5936) =5936 x 2/3 =3957	Plants	6600	3957	2642

Rkinaur

33

Annaxure 'ङ' पैरा संख्या १.५ में संदर्भित

ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर
औपचारिकताएं पूर्ण किए विना किया गया क्रय (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 09/22 और 03/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	MNREGA	C/O Mokash Dham vill masyana	0	625,76,77,78	M/s anil kumar, vill kuswar, hamirpur m/s Thakur trader, galoure nadaun	aggri, shuttring, sand, stone, iron,Bricks	200188.00
2	MNREGA	c/o wire crate in the land of jai pal vill masyana	0	621	m/s thakur trader, glore, hamirpur	gi wire	12825.00
3	MNREGA	c/o RTR water harvesting tank of baldev singh s/o puran chand vill bhadla	0	623	m/s thakur trader, glore, hamirpur	iron	4368.00
4	MNREGA	c/o RTR water harvesting tank of bhupinder singh vill bhadla	0	624	m/s thakur trader, glore, hamirpur	iron	5168.00
5	MNREGA	c/o up gradation pond	0	626,70	m/s thakur trader, glore, hamirpur	iron,aggri, sand, stone	168679.00
Total							**391228.00**

34

Annaxure डी पैरा संख्या 9.5 में संदर्भित

ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

सामग्री की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी दर्ज न करने वारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 09/22 और 03/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम व पता	क्रय किए गए सामान का विवरण	राशि (₹)
1	MNREGA	C/O Mokash Dham vill masyana	0	625,76,77,78	M/s anil kumar, vill kuswar, hamirpur m/s Thakur trader, galoure nadaun	aggri, shuttring, sand, stone, iron,Bricks	200188.00
2	MNREGA	c/o RTR water harvesting tank of baldev singh s/o puran chand vill bhadla	0	623	m/s thakur trader, glore, hamirpur	iron	4368.00
3	MNREGA	c/o RTR water harvesting tank of bhupinder singh vill bhadla	0	624	m/s thakur trader, glore, hamirpur	iron	5168.00
4	MNREGA	c/o panchvati park, masyana	0	213	m/s janki ram, kuswar, hamirpur	paver block	78500.00
5	GIA (Planning)	purchase of furniture for mahila mandal	13	4253	deep and co. hamripur	chair and tent	19998.00
Total							**308222.00**

Annaxure अ पैरा संख्या १.६ में संदर्भित

ग्राम पंचायत जंगल रोपा, विकास खंड हमीरपुर, जिला हमीरपुर

प्रस्ताव, प्राक्कलन, प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति प्रस्तुत करने बारे (01.04.2022 से 31.03.2024) (चयनित माह 09/22 और 03/24)

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	कार्य का नाम	राशि (₹)
1	GIA(Planning)	c/o link path nirmla devi house to dev raj house	121163
2	GIA(Planning)	c/o community toilet near temple vill masyana	84430
		Total	**205593**

G.P. Jangal ...
Dev. Block & Distt. Hamirpur

38